न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 261/2018/223 आर टी ए

1. गुरशेरसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी सरपंचा वाली गली ब्लॉक लम्बी दौला तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।

––अपीलांट

बनाम

1. जगमीत सिंह पुत्र समरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. हरमीतसिंह पुत्र समरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. तरसेमसिंह पुत्र गुरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. हरप्रीत सिंह पुत्र केवलराज सिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. मनप्रीत सिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. गुरजीत सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. केवलराज पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. गुरदीप सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. शाखा प्रबन्धक एसबीआई बैंक शाखा लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. शाखा प्रबन्धक एसबीआई बैंक शाखा एडीबी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
11. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक शाखा हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
12. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.05.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया
प्रकरण सं. 314/2017 अनवानी जगमीतसिंह आदि बनाम गुरजीतसिंह आदि

उपस्थित :–
श्री प्रद्युम्न सिंह परमार अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 5
श्री दलजीत सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6 ता 8
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12

निर्णय दिनांकः–06.08.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट सं. 1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 48 व 49 आरटीए पेश किया। वाद पत्र प्रस्तुत होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के गलत पते पर तामिल करवाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

Web Copy - Not Official

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 कतई गलत व विधि विरूद्ध होन के कारण काबिले खारिज है।अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जमाबंदी पेश की हुई है, उसमे भी अपीलांट को पंजाब का निवासी दर्शाया हुआ है, इसके विपरीत रेस्पो0 सं. 1 व 2 जो अपीलांट के परिवारजन है, जिन्हे यह बखूबी मालूम है कि अपीलांट हनुमानगढ़ मे नही रहता है बल्कि पंजाब मे रहता है, इसके बावजूद भी रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा जानबूझकर अपीलांट की तामिल गांव चन्दडा हनुमानगढ़ मे भिजवाई गई और उक्त रजिस्टर्ड डाक स्वयं ही किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त करवाई गई। रेस्पो सं. 1 ता 5 द्वारा जानबूझकर विधि सम्मत तामिल नही करवाई है और अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर प्राथमिक डिक्री प्राप्त की है जो अपीलांट की विधि सम्मत तामिल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 ता 5 द्वारा दिनांक 11.09.2017 को रजिस्टर्ड रसीद पेश की है और इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 11.09.2017 को पत्रावली इन्तजार पक्षकार हेतु नियत की गई, इसके पश्चात दिनांक 06.11.2017 को बिना तामील हुये साक्ष्य वादी का शपथ पत्र पेश कर दिया जबकि अपीलांट व अन्य के विरूद्ध दिनांक 28.05.2018 को राजस्व लोक कैम्प मानकसर मे एकपक्षीय कार्यवाही की गई जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त कथन किया कि आरआरटी 2004 (1) पेज 1 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 5 नियम 17 व धारा 96(2) अनुचित तामील के बारे मे आपत्ति प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठाई जा सकती है—प्रतिवादी के पास 3 विकल्प है और वह एकपक्षीय डिक्री के खिलाफ धारा 96(2) के अधीन अपील पेश कर सकता है—एक पक्षीय डिक्री अपास्त की जा सकती है यदि तामील कुनिन्दा ने आदेश 5 नियम 17 की

पालना नही की है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2004 (1) पेज 1, आरआरटी 2016–17 पेज 566, आरआरटी 2010(1) पेज 1 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2018 को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र पेश किया गया कि वादग्रस्त भूमि जो संयुक्त परिवार की भूमि थी जिसका तबादला कर लिया था तथा मुताबिक तबादला पक्षकारान काबिज है। तबादला दिनांक 26.06.78 प्रतिवादी सं. 4 के पिता द्वारा उपपंजीयक संगरिया के समक्ष पंजीकृत करवाया गया था तथा प्रतिवादी सं. 4/अपीलांट तबादलानामा दिनांक 26.06.78 से विबंधित है तथा तबादलानामा के आधार पर रेस्पो0 सं. 1 ता 5 ने घोषणा का अनुतोष चाहा गया। अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित नही आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई है। अपीलांट द्वारा दिनांक 28.05.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करते हुए सम्मन की तामील समुचित रूप से नही होने का कथन किया गया। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1994 पेज 621 के अनुसार प्रतिवादीगण पर सम्मनो की तामील उचित एवं समुचित रूप से हुई अथवा नही उसे ऐसी मे नही देखा जा सकता। इसका परीक्षण केवल प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। इस प्रकार अपील अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय कार्यवाही के विरूद्ध अपीलांटस के सम्मन की तामील समुचित रूप से नही होने के कथनो के आधार पर अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नही होने के कारण अपील काबिले खारिज है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1994 पेज 621, आरआरडी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1990 पेज 20 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलांट का पता चन्दड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़ अंकित किया गया और इसी नाम पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन की तामील करवाई है जबकि अपीलांट का सही और वास्तविक स्थाई पता सरपंचा वाली गली ब्लॉक लम्बी दौला तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब है जो पत्रावली मे संलग्न आधार कार्ड से साबित है। इस प्रकार अपीलांट को वादपत्र के संबंध मे कोई जानकारी नही होना साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो अपीलांट के सही पते पर तामील करवाई और खाता तकसीम के वाद मे अपीलांट को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया गया। जिससे विभाजन के वाद मे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे समस्त पक्षकारान की सहमति/राजीनामा नही होने पर वाद प्राथमिक किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रश्नगत तबादलानामा दिनांक 26.06.1978 पर उभय पक्ष सुनते हुए प्रकरण मे पुनः नये सिरे से यथासम्भव दो माह मे विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर वाद का निस्तारण होने तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजी की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.08.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ